

23-10-19

वकील उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी द्वारा  
जबाब स्टेट चैट समग्र चार पत्रावली वास्तु  
जबाब स्टेट दिनांक 27-11-19 को पेश

22-11-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी  
अन्य प्रशासनिक कार्या में व्यस्त है पत्रावली  
पूर्वानुसार दिनांक 12.12.20 को पेश हो।

18.12.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में वर्णित भूमि के  
विरास्तन साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया  
साक्ष्य शामिल पत्रावली किये गये पैरोकार राज द्वारा दिनांक  
22.11.2019 को प्रस्तुत जबाब स्टेट को शामिल पत्रावली किया गया।  
उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में कथन किया कि पक्षकारान के  
मध्य राजीनामा हो चुका है, प्रकरण में किसी प्रकार का कोई  
प्रतिवादी नहीं है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी निस्तारण किया  
जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की समायत बहस पर मनन किया गया  
पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि  
पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद  
नहीं होने से वादी वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना  
न्यायोचिरा पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक  
से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त अन्तिम  
डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर  
हो।



(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड

पीठासीन अधिकारी :-

राजस्व वाद संख्या :-

- 1 रामकुमार
- 2 प्रेम कुमार

- 1 खेतपाल पुत्र  
हनुमानगढ़।
- 2 सन्तोष पुत्री &  
तहसील व जि
- 3 गुडडी पुत्री &  
तहसील व जि
- 4 राजस्थान स्टेट

दावा

1. श्री प्रदीप पाणि
2. श्री बनवारीला
3. राज पैराकार

वादी द्वारा प्र  
इस न्यायालय में प्रस  
के पुत्र है। वादीगण  
भूमि विरासत में एवम्  
है :-

- (क) चक 24 एल  
किला नम्बर  
12/2/.152  
एल.एल.डब्ल्यू  
12 ता 19, 2  
कुल 6.325 है

इस प्रकार व  
खातेदारी है निम्नलि

Scanned by CamScanner

